



कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग - नियम एवं शर्तें

1. परिभाषा:

इन सेवा की शर्तों में (जिन्हें इसके बाद "**नियम एवं शर्तें**" या "**शर्तें**" के रूप में संदर्भित किया गया है), जब तक कि संदर्भ अन्यथा संकेत न दे, निम्नलिखित शब्दों और वाक्यांशों के अर्थ उनके सामने बताए गए अनुसार होंगे:

"**खाता**" का अर्थ ग्राहक का कोई भी बैंक खाता होगा जिसे बैंक द्वारा कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं के उपयोग के माध्यम से संचालन के लिए पात्र खाते (खातों) के रूप में नामित किया गया है।

"**आवेदन**" का अर्थ बंधन बैंक लिमिटेड से सीआईबीसेवाओं का लाभ उठाने के लिए बंधन बैंक द्वारा निर्धारित रूप और तरीके में आवेदन (आवेदन) होगा।

"**बंधन बैंक**" या "**बैंक**" का अभिप्राय बंधन बैंक लिमिटेड होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्गमित एक कंपनी है और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अर्थ के भीतर एक बैंकिंग कंपनी है; जिसका पंजीकृत कार्यालय डीएन 32, सेक्टर वी, साल्ट लेक, कोलकाता - 700091 पर और कॉर्पोरेट कार्यालय एडवेंचर इनफिनिटी@5, बीएन - 5, सेक्टर वी, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता - 700091 में स्थित है।

"**लाभार्थी**" का अभिप्राय ग्राहक द्वारा समय-समय पर पहचाने गए उन व्यक्तियों से होगा जिनके पक्ष में ग्राहक द्वारा सेवाओं के माध्यम से भुगतान साधन और भुगतान निर्देश अनुरोधों सहित निधि हस्तांतरण निर्देश दिए जाते हैं; और "लाभार्थी" अभिव्यक्ति का अर्थ उनमें से कोई भी एक होगा।

"**चैनल**" का अर्थ ईमेल, पत्र, शाखाएं, नेटवर्क कनेक्शन, बंधन बैंक का वेब इंटरफेस या ग्राहक के सर्वर पर स्थापित इंटरफेस है, जिसमें होस्ट-टू-होस्ट कस्टमर सर्वर या बंधन बैंक द्वारा अनुमत अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार विधि शामिल है, जिसके माध्यम से ग्राहक निर्देशों या उपकरणों (NEFT/RTGS/IMPS/IFT) के लिए अनुरोध, लाभार्थियों का विवरण और सेवाओं के लिए अन्य निर्देश प्रदान कर सकता है/उपलब्ध करा सकता है।

"**गोपनीय जानकारी**" का तात्पर्य बैंक की वेबसाइट के माध्यम से विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने के लिए बैंक के माध्यम से ग्राहक द्वारा प्राप्त जानकारी से है।

"**कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं**" या "**सीआईबी सेवाएं**" या "**सेवाएं**" का अर्थ बैंक द्वारा ग्राहकों को बैंक की वेबसाइट के माध्यम से कॉर्पोरेट खातों (खाता जानकारी, उत्पाद और अन्य सेवाओं के बारे में, वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेन सहित) तक पहुंच प्रदान करने के लिए दी जाने वाली सेवाएं हैं और ऐसी सेवाओं के बारे में वेबसाइट और/या अन्य संचार के माध्यम से सूचित किया जाता है।

"**ग्राहक/क्लाइंट**" का तात्पर्य आवेदन पत्र में नामित व्यक्ति से है और जो सीआईबीसेवाओं का लाभ उठाने का इच्छुक है।

"**निर्देश**" का अर्थ कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से बैंक द्वारा ग्राहक से प्राप्त कोई भी अनुरोध या निर्देश है।

"**ओटीपी**" का तात्पर्य वन टाइम पास कोड से है जो बैंक के रिकॉर्ड पर पंजीकृत ग्राहक के मोबाइल नंबर के साथ-साथ ईमेल आईडी पर भी भेजा जाएगा।

"**व्यक्ति**" का अर्थ और इसमें शामिल हैं: व्यक्ति, कंपनी या निगम, ट्रस्ट, एकल स्वामित्व, साझेदारी फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सोसाइटी, एचयूएफ (HUF), और व्यक्तियों का कोई अन्य संघ, चाहे वह पंजीकृत हो या नहीं।

"**व्यक्तिगत जानकारी**" का तात्पर्य कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं के संबंध में बैंक द्वारा प्राप्त उपयोगकर्ता के बारे में जानकारी से है।

"**तृतीय पक्ष उत्पाद**" का तात्पर्य किसी तृतीय पक्ष के किसी भी उत्पाद और/या सेवा से है जो बैंक के अधिकृत मध्यस्थ द्वारा या उसके माध्यम से पेश किया जाता है।

"**उपयोगकर्ता**" का तात्पर्य ग्राहक से है या उस व्यक्ति से है जिसे बैंक के ग्राहक द्वारा कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है, जैसा भी मामला हो।

"वेबसाइट" का तात्पर्य बंधन बैंक के स्वामित्व वाली, स्थापित और यूआरएल 'www.bandhanbank.com' पर संचालित वेबसाइट से है।

इन नियमों और शर्तों में उपयोग किए गए शब्द या अभिव्यक्ति, जो यहां विशेष रूप से परिभाषित नहीं हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो समय-समय पर बंधन बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, अन्य नियामकों और लागू कानूनों द्वारा उन्हें सौंपे गए हैं।

एकवचन के सभी संदर्भों में बहुवचन और इसके विपरीत शामिल हैं। "शामिल है" शब्द को "बिना किसी सीमा के" के रूप में समझा जाना चाहिए। किसी भी लिंग का संकेत देने वाले शब्दों में अन्य लिंग भी शामिल हैं। किसी भी कानून, अध्यादेश या अन्य कानून के संदर्भ में उस समय लागू सभी नियम और अन्य उपकरण तथा सभी समेकन, संशोधन, पुनः अधिनियमन या प्रतिस्थापन शामिल हैं।

2. प्रयोज्यता

यहाँ उल्लिखित ये नियम एवं शर्तें कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ता/ग्राहक और बैंक के बीच अनुबंध का निर्माण करती हैं। कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं के लिए आवेदन करके और सेवाओं तक पहुँच प्राप्त करके, उपयोगकर्ता इन नियमों और शर्तों को स्वीकार करता है। इन नियमों और शर्तों के अलावा ग्राहक के खातों से संबंधित कोई भी अन्य शर्त लागू रहेगी, सिवाय इसके कि यदि इन शर्तों और खाता शर्तों के बीच कोई विरोध होता है, तो ये नियम एवं शर्तें ही प्रभावी रहेंगी। ये नियम एवं शर्तें तब तक मान्य रहेंगी जब तक कि इन्हें किसी अन्य समझौते द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाता, या किसी भी पक्ष द्वारा समाप्त नहीं किया जाता, या खाता बंद नहीं किया जाता है—इनमें से जो भी पहले हो। ये नियम एवं शर्तें उपयोगकर्ता के किसी भी खाते (खातों) से संबंधित और/या बंधन बैंक द्वारा दी जाने वाली तथा उपयोगकर्ता/ग्राहक द्वारा ली जाने वाली सेवाओं/सुविधाओं से संबंधित नियमों और शर्तों के अतिरिक्त होंगी, न कि उनके अपमान में।

3. कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं के लिए आवेदन

बैंक अपने विवेक पर चुनिंदा ग्राहकों को कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सेवा प्रदान कर सकता है। सेवाओं का लाभ उठाने के लिए ग्राहक के पास इंटरनेट तक पहुँच होनी चाहिए। आवेदन की स्वीकृति और उसकी पावती का मतलब स्वचालित रूप से कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं के लिए आवेदन की स्वीकृति नहीं है। बैंक समय-समय पर इंटरनेट सॉफ्टवेयर जैसे ब्राउज़र के बारे में सलाह दे सकता है, जो कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने के लिए आवश्यक हैं। किसी विशेष इंटरनेट सॉफ्टवेयर या ब्राउज़र के सभी संस्करणों का समर्थन करने के लिए बैंक की ओर से कोई दायित्व नहीं होगा।

4. कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं

बैंक कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग के उपयोगकर्ता को ऐसी सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा जैसे कि उसके खाते (खातों) में शेष राशि के बारे में पूछताछ, लेनदेन का विवरण, खाता विवरण, चेक बुक जारी करने का अनुरोध, एक ही उपयोगकर्ता के खातों के बीच और अन्य खातों में फंड ट्रांसफर का अनुरोध और कई अन्य सुविधाएं जिन्हें बैंक समय-समय पर प्रदान करने का निर्णय ले सकता है। ये सुविधाएं बैंक के विवेक पर समय-समय पर बैंक द्वारा तय किए गए तरीके से चरणबद्ध तरीके से दी जाएंगी। सीआईबी सेवाओं को ग्राहक द्वारा इन नियमों और शर्तों के खंड 23 के अनुसार बंद किया जा सकता है। बैंक अपने विवेक से किसी भी पूर्व सूचना या कारण बताए बिना दी जा रही कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं में जोड़/हटाव कर सकता है। किसी विशेष सेवा की उपलब्धता/अनुपलब्धता के बारे में बैंक के वेब पेज या लिखित संचार या बैंक द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य माध्यम से सूचित किया जाएगा। बैंक समय-समय पर अपने विवेक से सभी या किसी भी सेवा को संशोधित करने, अपग्रेड करने या निलंबित करने का हकदार होगा, और ऐसी सेवाओं में बदलाव के बारे में ग्राहकों को सूचित करने का प्रयास करेगा। बैंक अपने पास उचित रूप से उपलब्ध तकनीक का उपयोग करके कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अनधिकृत पहुँच को रोकने के लिए उचित सावधानी बरतेगा। उपयोगकर्ता किसी भी अवैध या अनुचित उद्देश्यों के लिए कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सेवा या किसी संबंधित सेवा का उपयोग नहीं करेगा और न ही किसी अधिकृत व्यक्ति को उपयोग करने की अनुमति देगा।

बैंक द्वारा पहली बार में उपयोगकर्ता को एक गुप आईडी, यूजर आईडी और एक पासवर्ड (लॉगिन के समय उपयोग करने के लिए) आवंटित किया जाएगा। उपयोगकर्ता को पहली बार कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं तक पहुँचने पर बैंक द्वारा दिए गए पासवर्ड को अनिवार्य रूप से बदलना होगा।

सुरक्षा उपाय के रूप में, उपयोगकर्ता पासवर्ड को जितनी बार संभव हो सके, कम से कम 90 दिनों में एक बार बदलेगा। बैंक उपयोगकर्ता से पासवर्ड को एक अलग आवृत्ति पर बदलने का अनुरोध कर सकता है, जैसा कि बैंक द्वारा तय किया जा सकता है।

उपयोगकर्ता कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं के अलावा किसी अन्य माध्यम से बैंक के कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क में संग्रहीत खाता जानकारी तक पहुँचने का प्रयास नहीं करेगा और न ही दूसरों को ऐसा करने की अनुमति देगा।

बैंक के पास पात्रता कारकों और बैंक द्वारा तय किए गए आवश्यक दस्तावेजों के प्रावधान के आधार पर उपयोगकर्ता के लेनदेन की सीमाएं निर्धारित करने का अधिकार होगा। कुल सीमा बैंक की इंटरनेट बैंकिंग और भुगतान नीति द्वारा शासित होगी और बैंक के पास इसे किसी भी समय बदलने का विवेक होगा।

5. यूजर-आईडी और पासवर्ड

उपयोगकर्ता निम्नलिखित करेगा/करेगी:

- ग्रुप आईडी, यूजर-आईडी, निक नाम और पासवर्ड को पूरी तरह से गोपनीय रखना होगा और उन्हें किसी तीसरे पक्ष को नहीं बताना होगा।
- बैंक द्वारा निर्धारित पासवर्ड मानदंडों के अनुसार एक मजबूत पासवर्ड बनाना होगा।
- ग्रुप आईडी, यूजर-आईडी, निक नाम और पासवर्ड को याद रखना होगा और उन्हें लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में रिकॉर्ड नहीं करना होगा।
- कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करते समय किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को अपने कंप्यूटर तक पहुँचने नहीं देना होगा या कंप्यूटर को बिना निगरानी के नहीं छोड़ना होगा।
- ईमेल/एसएमएस/फोन कॉल पर अपनी व्यक्तिगत या गोपनीय जानकारी किसी को भी उजागर/प्रकट नहीं करनी होगी, भले ही वह कथित रूप से बंधन बैंक की ओर से हो। बंधन बैंक या उसका कोई भी प्रतिनिधि कभी भी आपसे आपका व्यक्तिगत विवरण जैसे यूजरनेम, पासवर्ड, ओटीपी आदि मांगने के लिए ईमेल/एसएमएस नहीं भेजेगा या फोन पर कॉल नहीं करेगा।
- यदि उसका कंप्यूटर डिवाइस मैलवेयर (वायरस, ट्रोजन आदि) से मुक्त नहीं है, तो उसे www.bandhanbank.com का उपयोग नहीं करना चाहिए।

ग्रुप आईडी, यूजर-आईडी, निक नाम और/या पासवर्ड भूल जाने या पासवर्ड की समाप्ति के मामले में, उपयोगकर्ता/ग्राहक ग्राहक के प्राधिकरण के साथ बैंक को लिखित अनुरोध भेजकर पासवर्ड बदलने का अनुरोध कर सकता है। नया पासवर्ड चुनने और/या यूजर आईडी बदलने को नए अनुबंध की शुरुआत नहीं माना जाएगा। ग्राहक/उपयोगकर्ता सहमत है और स्वीकार करता है कि यदि उपयोगकर्ता द्वारा स्वयं यूजर आईडी और पासवर्ड से समझौता करने के परिणामस्वरूप उपयोगकर्ता को कोई नुकसान होता है, या उपयोगकर्ता बैंक द्वारा साइट पर समय-समय पर प्रकाशित कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सेवा के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो बैंक को किसी भी तरह से जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। ग्राहक/उपयोगकर्ता इसके संबंध में बैंक को पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करने और हानिरहित रखने के लिए सहमत है। ग्राहक सीआईबी प्री-लॉगिन पेज पर दिए गए 'रीसेट पासवर्ड' विकल्प का उपयोग करके अपना लॉगिन पासवर्ड रीसेट कर सकता है। यह उपयोगकर्ता को बैंक के साथ पंजीकृत उनकी ईमेल आईडी पर नया रीसेट पासवर्ड प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।

ग्राहक को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी बरतनी चाहिए कि पासवर्ड और यूजर आईडी की गोपनीयता बनी रहे। यदि तीसरे पक्ष सेवाओं (ग्राहक के खाते सहित) तक पहुँच प्राप्त कर लेते हैं, तो उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए ग्राहक पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। इसके अलावा, ग्राहक बैंक को किसी भी दायित्व, लागत या नुकसान के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करेगा जो किसी भी व्यक्ति (ऐसे तीसरे पक्ष सहित) द्वारा दावों या मुकदमों से उत्पन्न होता है, जो ऐसी पहुँच और उपयोग पर आधारित हो या उससे संबंधित हो।

ग्राहक पासवर्ड के सत्यापन के अलावा, ग्राहक द्वारा ऑनलाइन या किसी अन्य माध्यम से भेजे गए या भेजे गए माने जाने वाले किसी भी लेनदेन निर्देश, या ग्राहक द्वारा जमा किए गए या जमा किए गए माने जाने वाले किसी भी दस्तावेज की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए बैंक का कोई दायित्व नहीं है।

ग्राहक अपने खाते की निगरानी और सुरक्षा तथा उससे जुड़े सभी लेनदेन के लिए पूर्ण जिम्मेदारी स्वीकार करता है। ग्राहक को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई अनधिकृत व्यक्ति उसके खाते तक न पहुँचे।

यूजर आईडी को लॉक करना

बैंक द्वारा निर्धारित किए गए प्रयासों की एक निश्चित संख्या के बाद कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड/यूजर आईडी लॉक हो जाएगी। बैंक द्वारा तय किए गए अनुसार एसएमएस, ईमेल या किसी अन्य माध्यम से प्रत्येक विफल लॉगिन या प्रमाणीकरण प्रयासों के बारे में ग्राहक को सूचित किया जाएगा। आपात स्थिति में, यूजर आईडी/पासवर्ड को शाखा के माध्यम से अनलॉक किया जा

सकता है। उपयोगकर्ता सीआईबी प्री-लॉगिन पेज पर दिए गए 'अनलॉक यूजर आईडी' विकल्प का उपयोग करके भी अपनी यूजर आईडी अनलॉक कर सकते हैं। यह उपयोगकर्ताओं को उनकी यूजर आईडी तुरंत अनलॉक करने में सक्षम बनाएगा।

यूजर आईडी का निष्क्रियकरण

यदि उपयोगकर्ता की कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग आईडी का उपयोग बैंक द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नहीं किया गया है, तो बैंक के पास इसे निष्क्रिय करने का विवेक होगा और बैंक समय-समय पर अपने द्वारा तय किए गए उपयुक्त संचार माध्यमों के जरिए अग्रिम सूचना साझा करेगा।

साथ ही, खाते में असंतोषजनक व्यवहार के कारण बैंक के पास उपयोगकर्ता के कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन को निष्क्रिय करने का अधिकार है। बैंक किसी भी अदालत, वैधानिक या विनियामक आदेश के आधार पर किसी भी ग्राहक या उसके उपयोगकर्ताओं की सीआईबी सेवाओं तक पहुँच को निष्क्रिय कर सकता है।

कॉर्पोरेट एडमिन मॉड्यूल एक्सेस वाला उपयोगकर्ता उस विशिष्ट ग्राहक से संबंधित किसी भी यूजर आईडी को निष्क्रिय कर सकता है।

6. उपयोगकर्ताओं को बदलने की प्रक्रिया

ग्राहक बंधन बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव/अधिदेश देकर किसी मौजूदा उपयोगकर्ता के अधिकार को रद्द कर सकता है, उसके उपयोगकर्ता एक्सेस प्रोफाइल को बदल सकता है या किसी नए उपयोगकर्ता को अधिकृत कर सकता है। हालाँकि, यहाँ उल्लिखित ये सभी नियम एवं शर्तें लागू रहेंगी। यदि कोई अधिकृत उपयोगकर्ता सेवा/रोजगार छोड़ देता है, तो ग्राहक तुरंत बंधन बैंक को उपयोगकर्ता एक्सेस को अक्षम करने के लिए सूचित करेगा, जिससे बंधन बैंक को ऐसा करने के लिए उचित समय मिल सके।

बंधन बैंक द्वारा उपयोगकर्ता एक्सेस को अक्षम करने से पहले ग्राहक द्वारा किए गए लेनदेन ग्राहक पर बाध्यकारी हैं।

7. ग्राहक द्वारा निर्देश

ग्राहक के पासवर्ड का उपयोग करके दर्ज किया गया कोई भी निर्देश, आदेश, दिशा-निर्देश या अनुरोध ग्राहक या उसके विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि या ग्राहक के विधिवत अधिकृत व्यक्ति से प्राप्त माना जाएगा। ग्राहक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा दर्ज किए गए सभी निर्देश, अनुरोध, दिशा-निर्देश और आदेश ग्राहक के निर्णयों पर आधारित हैं और इसके लिए पूरी तरह से ग्राहक जिम्मेदार है। ग्राहक समझता है कि बंधन बैंक के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा निर्देश, दिशा-निर्देश, आदेश या अनुरोध दर्ज करने से ऐसे निर्देश, दिशा-निर्देश, आदेश या अनुरोध के निष्पादन की गारंटी नहीं मिलती है। जब तक बंधन बैंक ऐसे निर्देश, दिशा-निर्देश, आदेश या अनुरोध की प्राप्ति की पुष्टि नहीं करता, तब तक यह नहीं माना जाएगा कि बैंक को ग्राहक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित कोई निर्देश मिला है। बंधन बैंक द्वारा उपयोगकर्ता को संबोधित कोई भी संचार क्लाइंट को भी संबोधित माना जाता है। इसी प्रकार, बंधन बैंक द्वारा दी जाने वाली सीआईबी सेवाओं के माध्यम से उपयोगकर्ता का कोई भी संचार और/या कार्रवाई क्लाइंट पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होगी।

8. साइबर अपराध और अन्य कार्रवाई

इंटरनेट स्वयं विभिन्न साइबर अपराधों जैसे कि फिशिंग, विशिंग (वॉयस फिशिंग), एसएमएसिंग (एसएमएस के माध्यम से फिशिंग), उपयोगकर्ता की सिस्टम सुरक्षा से समझौता आदि के प्रति संवेदनशील है, जो बैंक को दिए जाने वाले भुगतान निर्देशों या अन्य निर्देशों को प्रभावित कर सकते हैं। यद्यपि बैंक ग्राहकों के हितों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। फिर भी इस तरह के साइबर अपराधों और अन्य कार्रवाइयों से कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है जो बैंक को दिए जाने वाले भुगतान निर्देशों / अन्य निर्देशों को प्रभावित कर सकते हैं। इसमें निर्देशों को संसाधित करने में देरी या विफलता भी शामिल है, लेकिन यह केवल इन्हीं तक सीमित नहीं है। उपयोगकर्ता इन सभी जोखिमों का अलग से मूल्यांकन करेगा और ऐसे साइबर अपराधों से होने वाले नुकसान के लिए बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। उपयोगकर्ता समझता है कि साइबर कैफे/साझा कंप्यूटर टर्मिनल/वाईफ़ाई पर नेट बैंकिंग लेनदेन करना जोखिम भरा है और वह नेट बैंकिंग लेनदेन करने के लिए साइबर कैफे/साझा कंप्यूटर टर्मिनल/वाईफ़ाई की सेवाओं का उपयोग करने से बचेगा। साइबर कैफे या साझा कंप्यूटर टर्मिनल या वाईफ़ाई पर ग्राहक/उपयोगकर्ता द्वारा किया गया कोई भी लेनदेन पहचान की चोरी/संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी से समझौता करने के लिए अतिसंवेदनशील है और इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी वित्तीय/प्रतिष्ठा संबंधी/अन्य नुकसान या जोखिम को ग्राहक को ही उठाना होगा।

9. त्रुटियाँ - चूक एवं त्रुटिपूर्ण कार्यवाही

फंड ट्रांसफर और/या चेक जारी करने के लिए लागू डेटा भरने के लिए उचित, सटीक और पूर्ण विवरण की आवश्यकता होगी।

उदाहरण के लिए, ग्राहक जागरूक है और समझता है कि:

उसे उस व्यक्ति का सही खाता नंबर भरना होगा जिसे फंड ट्रांसफर किया जाना है।

उसे सही विवरण भरना होगा जैसे कि लाभार्थी का नाम, लाभार्थी का खाता संख्या, ट्रांसफर की जाने वाली राशि, आदि, जो भी लागू हो।

इस संबंध में किसी भी प्रकार की अशुद्धि होने पर, फंड गलत खातों में ट्रांसफर हो सकता है और उसके बाद उसकी वसूली की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए उपयोगकर्ता यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी सावधानी बरतेगा कि कोई गलती और त्रुटि न हो और बैंक को उसके द्वारा इस संबंध में दी गई जानकारी हर समय त्रुटि मुक्त, सटीक, उचित और पूर्ण हो। उपयोगकर्ता अपनी ओर से किसी त्रुटि के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करता है। आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, क्रेडिट केवल लाभार्थी खाता संख्या की जानकारी के आधार पर प्रभावित होगा और लाभार्थी के नाम के विवरण का उपयोग वहां नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई गलती या किसी अन्य कारण से उपयोगकर्ता के खाते में गलत क्रेडिट प्राप्त होने की स्थिति में, बैंक किसी भी समय बिना उसकी सहमति के लियन चिह्नित करने और/या गलत क्रेडिट को उलटने का हकदार होगा। उपयोगकर्ता बैंक के प्रति उत्तरदायी और जिम्मेदार होगा और इसके परिणामस्वरूप उसे प्राप्त किसी भी अनुचित लाभ के लिए बैंक के निर्देशों को बिना किसी प्रश्न के स्वीकार करेगा।

10. जोखिम

बैंक की वेबसाइट/कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म को रखरखाव की आवश्यकता हो सकती है और उस दौरान ग्राहकों के अनुरोधों को संसाधित करना संभव नहीं हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप निर्देशों के प्रसंस्करण में देरी और/या विफलता हो सकती है। उपयोगकर्ता/ग्राहक समझता है कि बैंक किसी भी ग्राहक निर्देश का सम्मान करने में बैंक की किसी भी विफलता या असमर्थता से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान या अन्यथा, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, सभी और किसी भी दायित्व को अस्वीकार करता है।

11. लेनदेन की सीमाएं

उपयोगकर्ता जागरूक है कि बैंक समय-समय पर फंड ट्रांसफर पर अधिकतम और न्यूनतम सीमाएं, जिसमें दैनिक सीमाएं भी शामिल हैं, लागू कर सकता है, जिन्हें यहां दिए गए भुगतान निर्देशों के आधार पर ट्रांसफर किया जा सकता है। उपयोगकर्ता स्वीकार करता है कि यह उस पर जोखिमों को कम करने के लिए है। उदाहरण के लिए, बैंक विशेष अवधियों के भीतर लेनदेन प्रतिबंध या किसी विशेष अवधि के भीतर राशि प्रतिबंध या प्रत्येक लेनदेन की सीमाएं लागू कर सकता है। उपयोगकर्ता ऐसी लागू सीमाओं से बाध्य होगा और उनका सख्ती से पालन करेगा। बैंक प्रासंगिक पेज या वेबसाइट पर एक उचित संदेश डालेगा।

12. प्रभार और शुल्क

बैंक समय-समय पर अपने विवेक से कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं के उपयोग के लिए और/या कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर चुनिंदा सेवाओं के लिए शुल्क लगा सकता है, जिन्हें बैंक की वेबसाइट (www.bandhanbank.com) पर प्रकाशित किया जाएगा।

बैंक शुल्कों में कोई भी बदलाव करने से कम से कम 30 (तीस) दिन पहले वेबसाइट पर प्रदर्शित करके या किसी अन्य माध्यम से, जिसे बैंक उचित समझे, ग्राहक को सूचित करेगा। ग्राहक कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग सेवाओं के लिए बैंक द्वारा तय किए गए शुल्क और प्रभारों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसे बदलाव करने से कम से कम 30 दिन पहले अग्रिम रूप से सूचित किया जाएगा और बैंक की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। ग्राहक एतद्वारा बैंक को कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं से संबंधित सभी शुल्कों की वसूली करने के लिए अधिकृत करता है, जैसा कि बैंक द्वारा समय-समय पर ग्राहक के खाते को डेबिट करके निर्धारित किया जाता है। ग्राहक शुल्क संरचना में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग सेवाओं के लिए शुल्क और प्रभारों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इन नियमों और शर्तों में निहित किसी भी बात के बावजूद, बंधन बैंक द्वारा ग्राहक को संशोधित शुल्क संरचना की सूचना (ईमेल, पत्र द्वारा या वेबसाइट पर संशोधित शुल्क संरचना प्रदर्शित करके) देकर समय-समय पर अपने पूर्ण विवेक से ऐसी शुल्क संरचना में बदलाव किया जा सकता है, और ग्राहक ऐसी सूचना की तारीख से एक (1) महीने बाद आने वाले दिन से संशोधित/संशोधित शुल्कों और शुल्क संरचना से बाध्य होने के लिए सहमत है। ग्राहक सेवाओं के संबंध में देय और भुगतान योग्य होने वाले सभी पिछले, वर्तमान और भविष्य के केंद्रीय, राज्य और स्थानीय लेवी, प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष करों, शुल्कों, जुर्माने, दंड और प्रभारों (बिना किसी सीमा के जीएसटी, मूल्य वर्धित कर और सीमा शुल्क, यदि कोई हो) के भुगतान के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। बंधन बैंक वसूली आय या ग्राहक से संबंधित अन्य निधियों के खिलाफ उन्हें समायोजित करके या सेवाओं के तहत खाते को डेबिट करके शुल्कों/फीस की वसूली करने का हकदार है। निर्धारित तिथि पर या उससे पहले शुल्कों/फीस (लागू करों सहित) का भुगतान करने में विफलता ग्राहक को ऐसी दर पर ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी बनाएगी जैसा कि बंधन बैंक द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

13. सेट ऑफ और लियन का अधिकार

बंधन बैंक के पास सेट-ऑफ और लियन का अधिकार होगा। यह अधिकार किसी अन्य वर्तमान या भविष्य के लियन या शुल्क से स्वतंत्र है, जो क्लाइंट के प्राथमिक खाते और/या द्वितीयक खाते या किसी अन्य खाते में जमा राशि पर हो सकता है। चाहे यह खाता एकल नाम में हो या संयुक्त नाम(नामों) में, यह अधिकार क्लाइंट द्वारा कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सेवा के उपयोग के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले सभी बकाया देयों की सीमा तक होगा।

14. फंड ट्रांसफर

उपयोगकर्ता संबंधित कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सेवा खाते में पर्याप्त धनराशि के बिना या ओवरड्राफ्ट की सुविधा के लिए बैंक के साथ पूर्व-निर्धारित व्यवस्था के बिना फंड ट्रांसफर के लिए कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं का उपयोग नहीं करेगा या उपयोग करने का प्रयास नहीं करेगा। बैंक कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से प्राप्त ऐसे फंड ट्रांसफर लेनदेन को पूरा करने का प्रयास करेगा, बशर्ते उपयोगकर्ता के खाते में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो। बैंक के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण भुगतान न करने या देरी से भुगतान करने की किसी भी चूक के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। उपयोगकर्ता की देखरेख की कमी/अनजाने में ओवरड्राफ्ट उत्पन्न होने की स्थिति में, उपयोगकर्ता ऐसी ओवरड्राफ्ट राशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जैसा कि बैंक द्वारा समय-समय पर तय किया जाएगा।

अन्य खातों में फंड ट्रांसफर

उपयोगकर्ता स्वीकार करता है कि फंड ट्रांसफर अनुरोध के लिए लाभार्थी का सही खाता संख्या/अन्य विवरण दर्ज करने के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी भी स्थिति में, उपयोगकर्ता द्वारा गलत/अशुद्ध/अपूर्ण खाता संख्या, लाभार्थी की जानकारी और/या कोई अन्य विवरण दर्ज करने के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी गलत लेनदेन के लिए बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

यदि उपयोगकर्ता को फंड ट्रांसफर का अधिकार/सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, तो इसका उपयोग उपयोगकर्ता के स्वयं के खातों के बीच और/या उपयोगकर्ता खाते से बैंक में और/या अन्य बैंकों में रखे गए तीसरे पक्ष के खातों में फंड ट्रांसफर करने के लिए किया जा सकता है। यदि निधियों का ऐसा हस्तांतरण किसी अन्य बैंक में रखे गए तृतीय पक्षों के खातों में किया जाना है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक की इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर प्रणाली के नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं, तो यह भारतीय रिज़र्व बैंक और एनपीसीआई की नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ("एनईएफटी"), रियल-टाइम ग्राँस सेटलमेंट सिस्टम ("आरटीजीएस ") और इमीडिएट भुगतान सर्विस ("आईएमपी ") पर लागू नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा, जैसा कि बैंक की वेबसाइट (<https://bandhanbank.com/rates-charges#rctabone2>) पर प्रदान किया गया है। सीआईबी के माध्यम से फंड ट्रांसफर, आरबीआई, एनपीसीआई या किसी अन्य विनियामक/सांविधिक निकायों द्वारा समय-समय पर जारी और संशोधित नियमों और विनियमों द्वारा शासित होगा।

सामूहिक भुगतान

बैंक कॉर्पोरेट इंटरनेट पर निष्पादित लेनदेन के लिए सामूहिक भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। उपयोगकर्ता एक बार में अधिकतम 7000 (सात हजार) लाभार्थियों को सामूहिक भुगतान प्रोसेस कर सकते हैं। सामूहिक भुगतान सेवाएं दैनिक आधार पर सुबह 08:00 बजे से शाम 07:30 बजे तक उपलब्ध हैं। सामूहिक भुगतान सेवा की उपलब्धता की अवधि बैंक के विवेक पर निर्भर है और बैंक द्वारा समय-समय पर इसे बदला जा सकता है।

लाभार्थी जोड़ना

किसी भी लाभार्थी को जोड़ने पर कोई क्लिंग पीरियड नहीं होगा। इसका मतलब है कि उपयोगकर्ता जोड़े गए लाभार्थी के पक्ष में तुरंत वित्तीय लेनदेन शुरू कर सकता है। बैंक के विवेक पर, ये नियम समय-समय पर बदल सकते हैं।

ऑफ़लाइन स्टेटमेंट

सीआईबी स्क्रीन पर अधिकतम 500 (पांच सौ) लेनदेन देखे जा सकते हैं। 500 से अधिक लेनदेन देखने के लिए, उपयोगकर्ता ऑफ़लाइन स्टेटमेंट विकल्प चुन सकता है। सभी लेनदेन बैंक के साथ पंजीकृत उपयोगकर्ता की ईमेल आईडी पर डिलीवर कर दिए जाएंगे। बैंक के विवेक पर, ये नियम समय-समय पर बदल सकते हैं।

15. स्थायी निर्देश/निर्धारित भुगतान

उपयोगकर्ता 'स्थायी निर्देश' या 'निर्धारित भुगतान' को आवश्यक तिथि पर सेट कर सकता है, यानी वह तिथि जिस दिन उपयोगकर्ता का खाता डेबिट किया जाएगा, उन कार्यात्मकताओं में जहाँ यह सुविधा उपलब्ध है। यदि उपयोगकर्ता इस 'स्थायी निर्देश / निर्धारित भुगतान' को संशोधित/रद्द करना चाहता है, तो उसे निर्धारित तिथि से 1 (एक) दिन पहले बैंक की किसी भी शाखा में जाकर ऐसा करना चाहिए।

16. बैंक का अधिकार

ग्राहक के खाते (खातों) में बैंकिंग लेनदेन इंटरनेट के माध्यम से केवल उपयोगकर्ता की यूजर आईडी और पासवर्ड के प्रमाणीकरण के बाद ही अनुमत हैं। ग्राहक/उपयोगकर्ता कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से उपयोगकर्ता द्वारा किए गए बैंकिंग और अन्य लेनदेन को प्रभावी बनाने के लिए बैंक को अपने सभी खातों तक पहुंचने के लिए अपरिवर्तनीय और बिना शर्त अधिकृत करता है। उपयोगकर्ता के निर्देश तभी प्रभावी होंगे जब ऐसी जानकारी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हो। ग्राहक/उपयोगकर्ता कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से उसके द्वारा किए गए/अनुरोधित बैंकिंग लेनदेन को पूरा करने के लिए बैंक को स्पष्ट अधिकार देता है। ग्रुप आईडी, यूजर-आईडी, निक नाम और पासवर्ड के सत्यापन के अलावा, कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सेवा के माध्यम से उपयोगकर्ता से प्राप्त या कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से उपयोगकर्ता द्वारा भेजा गया माने जाने वाले किसी भी लेनदेन की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए बैंक का कोई दायित्व नहीं है। कंप्यूटर सिस्टम या अन्य माध्यमों से बनाए गए लेनदेन के बैंक के अपने रिकॉर्ड को सभी उद्देश्यों के लिए निर्णायक और बाध्यकारी माना जाएगा। मेकर और चेकर अधिकारों वाली सभी कॉर्पोरेट इकाइयों मेकर आईडी का उपयोग करके लेनदेन शुरू करने और ऑथराइजेशन पासवर्ड तथा ओटीपी डालकर चेकर आईडी का उपयोग करके लेनदेन को अधिकृत करने में सक्षम होंगी। बैंक किसी भी समय बिना कोई नोटिस दिए या कारण बताए, कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं या ग्राहक/उपयोगकर्ता द्वारा उनके उपयोग को पूरी तरह या आंशिक रूप से निलंबित या समाप्त कर सकता है।

17. पूर्ण जानकारी

ग्राहक ऐसी जानकारी प्रदान करेगा जिसे बैंक सेवाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से समय-समय पर उचित रूप से मांग सकता है। कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की सुविधा के उपयोग के माध्यम से या ईमेल या लिखित संचार जैसे किसी अन्य माध्यम से बैंक को दी गई जानकारी की शुद्धता के लिए उपयोगकर्ता जिम्मेदार है। उपयोगकर्ता द्वारा दी गई गलत/अपूर्ण/अशुद्ध जानकारी से उत्पन्न होने वाले परिणामों के लिए बैंक कोई दायित्व स्वीकार नहीं करता है। यदि उपयोगकर्ता को संदेह है कि उसके द्वारा बैंक को दी गई जानकारी में कोई त्रुटि है, तो वह जल्द से जल्द बैंक को सूचित करेगा। बैंक 'सर्वोत्तम प्रयासों' के आधार पर जहाँ भी संभव हो, त्रुटि को ठीक करने का प्रयास करेगा। यदि उपयोगकर्ता कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सेवा के माध्यम से उसे दी गई खाता जानकारी में कोई त्रुटि देखता है, तो वह जल्द से जल्द बैंक को सूचित करेगा। बैंक तुरंत त्रुटि को ठीक करने और त्रुटि के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी ब्याज या शुल्क को समायोजित करने का प्रयास करेगा।

18. लेनदेन प्रसंस्करण दस्तावेज

सीआईबी सेवाओं के तहत लेनदेन में मेकर (maker) और चेकर (checker) होंगे, सिवाय कुछ संस्था प्रकारों के जहाँ केवल एकल उपयोगकर्ता की अनुमति है। बैंक उस संस्था प्रकार का निर्णय करेगा जिसमें एकल यूजर आईडी की अनुमति है।

ग्राहक की सीआईबी पहुंच ग्राहक द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर प्रदान की जाएगी और ग्राहक कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग के तहत किसी भी सेवा के लिए किसी भी अनुरोध के साथ बैंक द्वारा आवश्यक दस्तावेज और जानकारी जमा करने के लिए जिम्मेदार होगा। यदि किसी सेवा के लिए कोई अनुरोध ऐसा है जिसे तब तक प्रभावी नहीं किया जा सकता जब तक कि वह आवश्यक दस्तावेज के साथ न हो, तो बैंक को तब तक अनुरोध पर कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं होगी जब तक कि उसे ग्राहक से ऐसे दस्तावेज प्राप्त नहीं हो जाते।

19. फोर्स मेज्योर

यदि रोकथाम, देरी या रुकावट 'फोर्स मेज्योर' घटना के कारण है, तो यहाँ निहित बंधन बैंक के दायित्वों में देरी हो सकती है, रुकावट आ सकती है या दायित्वों के पालन में विफलता हो सकती है; इसमें बंधन बैंक के उचित नियंत्रण से परे कोई भी घटना शामिल है, जिसमें बिना किसी सीमा के, दूरसंचार डेटा संचार, कंप्यूटर सिस्टम और सेवाओं की अनुपलब्धता, तोड़फोड़, आग, बाढ़, विस्फोट, दैवीय कृत्य (महामारी या कोविड-19 सहित), नागरिक उपद्रव, किसी भी प्रकार की हड़ताल या औद्योगिक कार्रवाई (चाहे इसमें बैंक के कर्मचारी शामिल हों या तीसरे पक्ष के), दंगे, विद्रोह, युद्ध या सरकार के कार्य शामिल हैं। बंधन बैंक यहाँ बताए गए कारणों से दायित्वों को पूरा करने में अपनी असमर्थता से उत्पन्न होने वाले किसी भी पक्ष के किसी भी कार्य या दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और इसे इन शर्तों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा और प्रभावित दायित्व के पालन के लिए समय को ऐसी अवधि तक बढ़ाया जाएगा जो परिस्थितियों में उचित हो।

20. गोपनीयता

वेबसाइट का उपयोग करने की प्रक्रिया में, बंधन बैंक ग्राहक से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है, जिसमें गोपनीय प्रकृति की जानकारी भी शामिल है। बंधन बैंक अपने ग्राहकों की गोपनीयता की रक्षा के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है और उसने उसे दी गई जानकारी की सुरक्षा के लिए कदम उठाए हैं। बंधन बैंक ने सीआईबी सेवाओं के तहत जानकारी और उनके प्रसारण की गोपनीयता

की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय किए हैं, हालाँकि, इसे गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा, जब तक कि बंधन बैंक की ओर से घोर लापरवाही स्थापित न हो जाए।

ग्राहक वेबसाइट के माध्यम से सीआईबी सेवाओं का लाभ उठाने के दौरान प्राप्त गोपनीय प्रकृति की बंधन बैंक से संबंधित किसी भी जानकारी को किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी तरह से प्रकट नहीं करेगा। इस दायित्व का पालन करने में विफलता को इन नियमों और शर्तों का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा और यह बंधन बैंक को उन नुकसानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सीआईबी सेवाओं को समाप्त करने का अधिकार देगा, जिसके लिए वह ग्राहक के खिलाफ हकदार हो सकता है।

बंधन बैंक ग्राहक द्वारा प्रदान की गई जानकारी को किसी भी व्यक्ति को प्रकट नहीं करने का वचन देता है, जब तक कि वह अच्छे विश्वास में ऐसा न करे कि ऐसी कार्रवाई आवश्यक है: 1) कानूनी आवश्यकताओं के अनुरूप या कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के लिए; 2) बंधन बैंक के अधिकारों या संपत्ति की रक्षा और बचाव करने के लिए; 3) नियमों और शर्तों को लागू करने के लिए; या 4) बंधन बैंक के सदस्यों या दूसरों के हितों की रक्षा करने के लिए।

बंधन बैंक ग्राहक की 'ग्राहक जानकारी' सहित अन्य जानकारी का उपयोग कर सकता है। बैंक सीआईबी सेवाएं प्रदान करने और किसी भी सेवा-संबंधी गतिविधियों, जैसे कि उन सीआईबी सेवाओं के लिए सदस्यता शुल्क एकत्र करने और ऐसी सीआईबी सेवाओं के साथ किसी भी समस्या या उनकी समाप्ति के संबंध में ग्राहक को सूचित करने या संपर्क करने के लिए इस जानकारी को अपने सहयोगियों और तृतीय पक्षों के साथ साझा कर सकता है। इस संबंध में, बंधन बैंक के एक या अधिक एजेंटों और ठेकेदारों तथा उनके उप-ठेकेदारों को 'ग्राहक जानकारी' का खुलासा करना आवश्यक हो सकता है, लेकिन ऐसे एजेंटों, ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों को बंधन बैंक से प्राप्त जानकारी का उपयोग केवल इन्हीं उद्देश्यों के लिए करने के लिए सहमत होना होगा।

ग्राहक एतद्वारा बंधन बैंक को कानून या प्रथागत अभ्यास के अनुसार आवश्यक होने पर बैंकों/वित्तीय संस्थानों/क्रेडिट ब्यूरो/एजेंसियों/किसी भी दूरसंचार या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग नेटवर्क में भागीदारी के साथ ग्राहक के विवरण और लेनदेन इतिहास से संबंधित सभी जानकारी का आदान-प्रदान करने, साझा करने और अलग करने के लिए अधिकृत करता है और इस जानकारी के उपयोग या प्रकटीकरण के लिए बंधन बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराएगा। ग्राहक सहमत है कि बंधन बैंक या उसके ठेकेदार सीआईबी सेवाओं के संबंध में, साथ ही सांख्यिकीय विश्लेषण और क्रेडिट स्कोरिंग के लिए कंप्यूटर पर या अन्यथा 'ग्राहक जानकारी' को रख सकते हैं और संसाधित कर सकते हैं।

21. संचार

ग्राहक सहमत है कि बंधन बैंक आवेदन में ग्राहक द्वारा उस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट पते पर इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से सेवाओं से संबंधित डेटा, स्टेटमेंट और रिपोर्ट सहित जानकारी ग्राहक को भेज सकता है। ग्राहक यह मानता है कि ऐसी जानकारी गोपनीय प्रकृति की होगी, हालाँकि, ऐसी ट्रांसमिशन के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा जानकारी को इंटरसेप्ट, पढ़ा, संशोधित या परिवर्तित किया जा सकता है।

ग्राहक सहमत है कि बंधन बैंक किसी भी डेटा या जानकारी की अशुद्धि, त्रुटि, रुकावट, देरी, या चूक या ऐसे डेटा या जानकारी के ट्रांसमिशन या डिलीवरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। न ही बंधन बैंक किसी इंटरनेट सेवा प्रदाता या किसी तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाता के कृत्यों या चूकों के कारण उत्पन्न होने वाली सेवाओं में किसी त्रुटि, चूक या देरी के लिए उत्तरदायी होगा, जिसके प्रदर्शन पर बंधन बैंक ऐसी जानकारी या डेटा संचारित करने के लिए निर्भर है। बंधन बैंक ऐसे ट्रांसमिशन से होने वाले नुकसान (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष), जिसमें गोपनीयता का उल्लंघन, निजता का नुकसान, डेटा की हानि, व्यावसायिक व्यवधान, डिलीवरी में देरी या कोई आर्थिक नुकसान शामिल है, लेकिन केवल इन्हीं तक सीमित नहीं है, के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

ग्राहक सहमत है और पुष्टि करता है कि बैंक को विवरण और/या निर्देश देने के लिए चैनल के माध्यम से, या सेवाओं के संबंध में बैंक के साथ संचार करने के लिए, या बैंक द्वारा प्राप्त अन्य दूरसंचार माध्यमों के द्वारा किए गए सभी लेनदेन कानूनी रूप से बाध्यकारी और प्रवर्तनीय होंगे। बैंक चैनलों के माध्यम से किसी भी ऐसे संचार पर भरोसा करने और कार्रवाई करने का हकदार होगा जो ग्राहक से उत्पन्न होता है या उत्पन्न होता हुआ प्रतीत होता है, और ऐसी कार्रवाइयां ग्राहक पर पूर्णतः बाध्यकारी होंगी।

22. अभ्यावेदन और वारंटी

ग्राहक बंधन बैंक को प्रतिनिधित्व करता है कि:

- i. ग्राहक के पास इन शर्तों के अनुसार अपने दायित्वों को पूरा करने की पूर्ण शक्ति है और उसने आवेदन को निष्पादित करने तथा कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई, सभी आंतरिक और कॉर्पोरेट अनुमोदनों सहित, पूरी कर ली है।
- ii. बंधन बैंक से कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाना ग्राहक पर लागू किसी भी कानून और/या किसी भी विनियामक आवश्यकताओं, ग्राहक के संवैधानिक दस्तावेजों के किसी भी प्रावधान, उस पर या उसकी किसी संपत्ति

पर लागू किसी अदालत या सरकारी एजेंसी के किसी आदेश या निर्णय, या उसे या उसकी किसी संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन या विरोध नहीं करता है और न ही करेगा। बशर्ते कि ग्राहक किसी भी विनियामक/कानूनी/सांविधिक आवश्यकताओं में किसी भी बदलाव के बारे में बंधन बैंक को सूचित करेगा, जिसका प्रभाव कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सुविधा के प्रावधान को प्रतिबंधित या निषिद्ध करना हो सकता है, और यह सूचना ऐसे किसी भी बदलाव के सात दिनों के भीतर दी जानी चाहिए।

- iii. कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं के संबंध में सभी लागू कानूनों और विनियमों (भारतीय रिज़र्व बैंक और समय-समय पर विभिन्न अन्य नियामकों द्वारा जारी दिशानिर्देशों सहित) का अनुपालन करने के लिए ग्राहक जिम्मेदार होगा।
- iv. ग्राहक अपने कर्मचारियों या एजेंटों के किसी भी कार्य, त्रुटि, चूक या धोखाधड़ी के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

23. सुविधा की समाप्ति

ग्राहक बैंक की नजदीकी शाखा में लिखित अनुरोध देकर इस सुविधा के तहत किसी भी या सभी कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं का उपयोग बंद या समाप्त कर सकता है। बशर्ते कि ऐसी समाप्ति, कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं के रद्द होने से पहले किए गए लेनदेन या उसके खाते (खातों) के संबंध में ग्राहक के दायित्वों को पूरा करने और समाप्त करने की उसकी जिम्मेदारी को प्रभावित नहीं करेगी। सेवाओं की समाप्ति ग्राहक और बंधन बैंक के किसी भी अर्जित अधिकारों और देनदारियों को प्रभावित नहीं करेगी। बंधन बैंक किसी भी समय बिना कोई कारण बताए अपनी वेबसाइट, ईमेल, पत्र या अन्य संचार के माध्यम से ग्राहक को सूचित करके, किसी भी या सभी कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं को पूर्ण या आंशिक रूप से, तुरंत समाप्त या निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। किसी भी या सभी सुविधाओं की अस्थायी निकासी या निलंबन के मामले में, बंधन बैंक अपने पूर्ण विवेक पर विशेषाधिकारों को बहाल कर सकता है। सांविधिक/नियामक मजबूरियों के अधीन, बंधन बैंक समाप्ति से पहले उचित सूचना देने का प्रयास करेगा।

24. उपयोग पर प्रतिबंध

ग्राहक कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग सख्ती से वास्तविक उपयोग के लिए करने और किसी भी अवैध उद्देश्य के लिए या इन नियमों और शर्तों के असंगत किसी भी तरीके से नहीं करने के लिए सहमत है। ग्राहक वेबसाइट में निहित किसी भी जानकारी का उपयोग, हस्तांतरण, वितरण या निपटान इस तरह से नहीं करने के लिए सहमत है जो बंधन बैंक और/या सहयोगियों के व्यवसाय के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके या अन्यथा बंधन बैंक और/या सहयोगियों के हितों से समझौता कर सके या उन्हें खतरे में डाल सके। ग्राहक स्वीकार करता है कि वेबसाइट को बंधन बैंक और अन्य (कुछ अन्य सूचना स्रोतों सहित) द्वारा पर्याप्त समय, प्रयास और धन के व्यय के माध्यम से विकसित और लागू किए गए निर्णय के तरीकों और मानकों के अनुप्रयोग के माध्यम से विकसित, संकलित, तैयार, संशोधित, चयनित और व्यवस्थित किया गया है। वेबसाइट बंधन बैंक की मूल्यवान बौद्धिक संपदा का गठन करती है और इसमें बंधन बैंक और ऐसे अन्य लोगों के व्यावसायिक रहस्य भी शामिल हो सकते हैं। ग्राहक सीआईबी सेवाओं की अवधि के दौरान और बाद में बंधन बैंक और अन्य पक्षों के मालिकाना अधिकारों की रक्षा करने के लिए सहमत है। ग्राहक वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन पर उनके और अन्य लोगों के संविदात्मक, वैधानिक और सामान्य कानून अधिकारों की रक्षा के लिए बंधन बैंक या सामग्री, उपकरण या अन्य के उसके आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किए गए सभी उचित लिखित अनुरोधों का पालन करने के लिए सहमत है। ग्राहक किसी भी पक्ष द्वारा वेबसाइट के किसी भी अनधिकृत उपयोग या पहुँच के बारे में, या किसी भी दावे के बारे में कि वेबसाइट किसी कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या अन्य संविदात्मक, वैधानिक या सामान्य कानून अधिकारों का उल्लंघन करती है, के बारे में पता चलने पर तुरंत बंधन बैंक को लिखित रूप में सूचित करने के लिए सहमत है।

25. वेबसाइटों के लिंक

यह कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म अन्य पक्षों द्वारा संचालित अन्य वेबसाइटों के लिंक शामिल कर सकता है। ऐसे लिंक केवल ग्राहक की सुविधा के लिए प्रदान किए जाते हैं और बंधन बैंक ऐसी वेबसाइटों को नियंत्रित या समर्थन नहीं करता है और उनकी सामग्री के लिए जिम्मेदार नहीं है। बाहरी वेबसाइटों का उपयोग प्रत्येक बाहरी वेबसाइट के भीतर निहित उपयोग की शर्तों और अन्य शर्तों और दिशानिर्देशों (यदि कोई हो) के भी अधीन है। यदि यहां निहित कोई भी शर्त वेबसाइट के भीतर निहित उपयोग की शर्तों या अन्य शर्तों और दिशानिर्देशों के साथ संघर्ष करती है, तो वेबसाइट के लिए उपयोग की शर्तों और अन्य शर्तों और दिशानिर्देश प्रभावी होंगे। लिंक की गई वेबसाइटें बंधन बैंक के नियंत्रण में नहीं हैं और यह किसी भी लिंक की गई वेबसाइट की सामग्री या लिंक की गई वेबसाइट में निहित किसी भी लिंक, उसमें दिखाई देने वाले विज्ञापनों या उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं या ऐसी वेबसाइटों में किसी भी बदलाव या अपडेट के लिए जिम्मेदार नहीं है।

26. क्षतिपूर्ति

ग्राहक बैंक, और उसके अधिकारियों, निदेशकों और एजेंटों को बिना किसी देरी या आपत्ति के क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत है और बंधन बैंक तथा उसके अधिकारियों, निदेशकों और एजेंट को हर समय किसी भी और सभी कार्यों, दावों, मुकदमों, कार्यवाहियों, मांगों, नुकसानों, लागतों और खर्चों (अटॉर्नी की फीस सहित) से हानिरहित रखेगा, जो बंधन बैंक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उठा सकता है या उठा सकता है, जो निम्नलिखित से उत्पन्न होते हैं या इसके संबंध में हैं:

- i. यहाँ उल्लिखित इन शर्तों का उल्लंघन।
- ii. उपयोगकर्ता/ग्राहक द्वारा कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं का अनुचित उपयोग।
- iii. बैंक की कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं द्वारा प्रदान किए गए उत्पादों और/या सेवाओं की किसी भी विफलता, देरी या रुकावट से संबंधित मुद्दों से उत्पन्न तीसरे पक्ष द्वारा किए गए कोई भी दावे।
- iv. उत्पादों/कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं का किसी भी तरह से उपयोग करना जो इन शर्तों का उल्लंघन करता है या अन्यथा किसी कानून, नियम, शर्तों या विनियमों का उल्लंघन करता है।
- v. लागू कानूनों या अदालत या वैधानिक आदेश या किसी वैधानिक, प्रशासनिक या विनियामक निकाय द्वारा किसी भी कार्रवाई का अनुपालन न करना।
- vi. ग्राहक के कर्मचारियों या किसी एजेंट, तीसरे पक्ष के उपभोक्ताओं की कोई भी त्रुटि, चूक, धोखाधड़ी, कार्य, लापरवाही, कदाचार या दुराचार।
- vii. ग्राहक द्वारा किसी भी दायित्व, अभ्यावेदन या वारंटी/इन शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन।
- viii. ग्राहक द्वारा अथवा ग्राहक के ग्राहकों द्वारा उनके निर्देश/अधिदेश में प्रदान किए गए किसी भी डेटा, सूचना या संदेश में कोई अशुद्धि, त्रुटि या चूक, अथवा ग्राहक या ग्राहक के ग्राहकों द्वारा प्रदान किए गए ऐसे किसी डेटा, सूचना या संदेश का प्रसारण या वितरण।
- ix. नेटवर्क कनेक्शन में कोई भी अनधिकृत संशोधन।
- x. बंधन बैंक द्वारा सुझाए गए अच्छे प्रथाओं का पालन न करने के कारण की गई कोई भी धोखाधड़ी।

बंधन बैंक को ग्राहक द्वारा दी गई सभी क्षतिपूर्तियां सेवाओं की समाप्ति के बाद भी प्रभावी रहेंगी।

27. बैंक के दायित्व :

बैंक कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं के उपयोग के माध्यम से खाते (खातों) में किसी भी अनधिकृत लेनदेन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जिसे उपयोगकर्ता के धोखाधड़ी या लापरवाह आचरण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

बैंक, वैध कारणों से, उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश को निष्पादित करने से मना कर सकता है।

बैंक अपने ग्राहक खाते (खातों)/जानकारी की गोपनीयता और गुप्तता बनाए रखने के लिए सभी संभावित कदम उठाने का प्रयास करेगा, लेकिन बैंक के नियंत्रण से बाहर के कारणों से गोपनीयता/गुप्तता के उल्लंघन के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए खाताधारक (धारकों) के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

बैंक ओटीपी और/या एसएमएस अलर्ट में देरी, विफलता और/या असामयिक डिलीवरी के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा, जो नेटवर्क कंजेशन, नेटवर्क विफलता, सिस्टम विफलता या बैंक या इसके सेवा प्रदाता (प्रदाताओं) के उचित नियंत्रण से बाहर के किसी भी अन्य कारणों से हो सकता है, लेकिन यह केवल इन्हीं तक सीमित नहीं है।

यहाँ निहित किसी भी बात के बावजूद, जहाँ बैंक के पास यह मानने का कारण है कि कोई लेनदेन या लियन का अंकन धोखाधड़ी से किया गया है (जिसे इसके बाद "संदिग्ध लेनदेन" के रूप में संदर्भित किया गया है), बैंक को मनी लॉन्ड्रिंग या अन्यथा से संबंधित विनियामक कानूनों के अनुसार ऐसे संदिग्ध लेनदेन से संबंधित भुगतान को रोकने का अधिकार होगा। यदि बैंक उचित पूछताछ और जांच के बाद यह निर्धारित करता है कि लेनदेन एक वैध लेनदेन है और संदिग्ध लेनदेन नहीं है, तो बैंक बाद में ऐसे रोके गए भुगतान को जारी कर देगा।

बंधन बैंक (a) किसी भी डेटा, जानकारी या संदेश, या (b) ऐसे किसी भी डेटा, जानकारी या संदेश के ट्रांसमिशन या डिलीवरी; या (c) किसी भी ऐसी अशुद्धि, त्रुटि, देरी या चूक, गैर-निष्पादन या किसी भी ऐसे डेटा, जानकारी या संदेश में रुकावट से उत्पन्न होने वाले या उसके कारण होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए किसी भी अशुद्धि, त्रुटि, या देरी के लिए, या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इस खंड के लिए डेटा में डेटा फ़ाइल शामिल होगी।

किसी भी परिस्थिति में बंधन बैंक, उसके कर्मचारी, निदेशक, और सेवाओं के प्रसंस्करण, वितरण या प्रबंधन में शामिल उसके तृतीय-पक्ष एजेंट किसी भी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, आकस्मिक, विशेष या परिणामी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। साथ ही, वे किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे, जिसमें दंडात्मक या अनुकरणीय नुकसान भी शामिल है (जिसमें शामिल हैं, लेकिन सीमित नहीं हैं, किसी वायरस, व्यक्तिगत चोट, लापरवाही, लाभ की हानि, डेटा या अन्य अमूर्त जानकारी की हानि, व्यावसायिक व्यवधान, गोपनीयता की हानि, या किसी भी आर्थिक नुकसान के कारण होने वाले नुकसान)। यह उत्तरदायित्व उन स्थितियों पर भी लागू होता है जो सेवाओं के प्रावधान से, या सेवाओं के प्रावधान में किसी अपर्याप्तता या कमी से उत्पन्न होती हैं। इसके अतिरिक्त, यह अनधिकृत पहुँच या ट्रांसमिशन या डेटा के परिवर्तन के परिणामस्वरूप होने वाले नुकसानों पर भी लागू होता है। साथ ही, यह सेवाओं के निलंबन या समाप्ति से उत्पन्न होने वाले नुकसानों पर भी लागू होता है। इसके अलावा, यह बंधन बैंक की किसी भी ऐसी असमर्थता के लिए भी लागू होता है जिसके कारण वह ग्राहक या ग्राहक के ग्राहकों से निर्देश, दिशा-निर्देश, आदेश या अन्य संचार प्राप्त करने में सक्षम न हो, या किसी भी कारण से किसी भी संबंधित संदेश को प्रसारित करने में असमर्थ हो। यह सीमा चाहे अनुबंध, अपकृत्य, सख्त दायित्व या अन्यथा किसी भी आधार पर हो, सभी पर समान रूप से लागू होती है।

ग्राहक स्पष्ट रूप से सहमत है कि वेबसाइट का उपयोग उसके अपने जोखिम पर है। वेबसाइट 'जैसी है' और 'जैसी उपलब्ध है' के आधार पर प्रदान की जाती है। इन नियमों और शर्तों में वारंटी के अलावा, बंधन बैंक स्पष्ट रूप से किसी भी प्रकार की सभी वारंटियों को अस्वीकार करता है, चाहे वे व्यक्त हों, निहित हों या वैधानिक हों, जिसमें व्यापारिकता, किसी विशेष उद्देश्य के लिए फिटनेस, डेटा सटीकता और पूर्णता की निहित वारंटी और सीआईबी सेवाओं में गैर-उल्लंघन से संबंधित कोई भी वारंटी शामिल है, लेकिन यह केवल इन्हीं तक सीमित नहीं है। बंधन बैंक यह वारंटी नहीं देता है कि वेबसाइट और सीआईबी सेवाओं तक पहुँच निर्बाध, समय पर, सुरक्षित या त्रुटि मुक्त होगी, और न ही यह वेबसाइट से प्राप्त परिणामों, सेवाओं के उपयोग, या सीआईबी सेवाओं की सटीकता या विश्वसनीयता के बारे में कोई वारंटी देता है। बंधन बैंक वेबसाइट के माध्यम से दर्ज किए गए लेनदेन के संबंध में कोई वारंटी नहीं देता है। सीआईबी सेवाओं का उपयोग करने के परिणामस्वरूप ग्राहक के सिस्टम में प्रवेश करने वाले किसी भी वायरस के लिए बंधन बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। बंधन बैंक ग्राहक या किसी अन्य तीसरे पक्ष को यह गारंटी नहीं देता है कि सीआईबी सेवाएं वायरस मुक्त होंगी।

28. दायित्व - उपयोगकर्ता

उपयोगकर्ता निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा:

- i. यहाँ उल्लिखित इन शर्तों का अनुपालन न करना।
- ii. नियम और शर्तों के उल्लंघन के कारण उपयोगकर्ता संभावित जोखिम, वित्तीय/प्रतिष्ठा संबंधी नुकसान/देखने/लेनदेन करने के अधिकार आदि के लिए उत्तरदायी हो सकता है।
- iii. यदि उसने इन शर्तों का उल्लंघन किया है या लापरवाहीपूर्ण कार्यों जैसे निम्नलिखित के कारण नुकसान में योगदान दिया है या नुकसान पहुँचाया है:
 - a. ग्लुप आईडी, यूजर आईडी, निक नाम और/या पासवर्ड का किसी को भी खुलासा करने में, जिसमें बैंक कर्मचारी भी शामिल हैं, और/या उचित समय के भीतर बैंक को ऐसी प्रकटीकरण की सलाह देने में विफल रहने पर।
 - b. कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से खाते (खातों) में अनधिकृत पहुँच या त्रुटिपूर्ण लेनदेन के बारे में उचित समय के भीतर बैंक को सलाह न देने पर।

ग्राहक सहमत है कि खाते में इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन के संबंध में ग्राहक का दायित्व आरबीआई परिपत्र RBI/2017-18/15 Leg.BC.78/09.07.005/2017-18 दिनांक 6 जुलाई 2017 के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।

29. शर्तों में संशोधन

बंधन बैंक के पास किसी भी समय इन शर्तों में से किसी को भी संशोधित या पूरक करने का पूर्ण विवेक है और बंधन बैंक ईमेल द्वारा या आधिकारिक वेबसाइट पर संशोधित शर्तों को प्रदर्शित करके या किसी भी तरीके से, जिसे वह उचित समझे, इसका नोटिस देने का प्रयास करेगा, और ऐसी संशोधित शर्तें तदनुसार ग्राहक पर लागू और बाध्यकारी होंगी।

ग्राहक इन शर्तों की नियमित रूप से समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें बंधन बैंक की वेबसाइट पर पोस्ट की गई संशोधन भी शामिल हैं, और सेवाओं का उपयोग जारी रखकर संशोधित शर्तों को स्वीकार किया हुआ माना जाएगा।

30. शासी कानून

इन नियमों और शर्तों के तहत कोई भी विवाद कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालतों के अधीन होगा।

उपयोगकर्ता सहमत हैं और स्वीकार करते हैं कि इन शर्तों के उत्पन्न होने या इसके संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद या मतभेद के मामले में, चाहे इसके अस्तित्व के दौरान या उसके बाद बंधन बैंक और उपयोगकर्ता के बीच, इन शर्तों या इसके किसी भी खंड की व्याख्या से संबंधित किसी भी विवाद या मतभेद सहित, को आर्बिट्रेशन और सुलह अधिनियम, 1996, या इसके किसी भी वैधानिक संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थता द्वारा निपटाया जाएगा। ऐसे दावों के विवादों और/या मतभेदों को बंधन बैंक द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ ("आर्बिट्रेटर") द्वारा मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा। मध्यस्थता कार्यवाही आयोजित करने का स्थान कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत होगा। मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी। उन मामलों के संबंध में जहाँ पिछले पैराग्राफ के अनुसार आयोजित मध्यस्थता कार्यवाही में यह निर्धारित किया जाता है कि (i) उस पैराग्राफ में प्रदान की गई मध्यस्थता कार्यवाही अप्रवर्तनीय है; या (ii) इसका विषय भारतीय आर्बिट्रेशन और सुलह अधिनियम 1996, संशोधित, के तहत गैर-मध्यस्थता योग्य है, ऐसी स्थिति में, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत की अदालतों का ऐसे मामलों के संबंध में विशेष क्षेत्राधिकार होगा, प्रत्येक पक्ष उन अदालतों में से किसी में लाए गए किसी कार्रवाई पर आपत्ति करने के किसी भी अधिकार का अप्रवर्तनीय रूप से त्याग करता है, यह दावा करने के लिए कि कार्रवाई एक असुविधाजनक मंच में लाई गई है या यह दावा करने के लिए कि उन अदालतों के पास क्षेत्राधिकार नहीं है।

बंधन बैंक, हालांकि, अपने पूर्ण विवेक पर इन नियमों और शर्तों से उत्पन्न किसी भी कानूनी कार्रवाई या कार्यवाही को किसी अन्य अदालत, न्यायाधिकरण या अन्य उपयुक्त मंच में शुरू कर सकता है, और ग्राहक एतद्वारा उस क्षेत्राधिकार के लिए सहमति देता है।

31. प्रथक्करणीयता

इन शर्तों का कोई भी प्रावधान जो किसी भी क्षेत्राधिकार में निषिद्ध या अप्रवर्तनीय है, वह उस क्षेत्राधिकार के लिए, निषेध या अप्रवर्तनीयता की सीमा तक अप्रभावी होगा, लेकिन इन शर्तों के शेष प्रावधानों को अमान्य नहीं करेगा या किसी अन्य क्षेत्राधिकार में ऐसे प्रावधान को प्रभावित नहीं करेगा।

32. गैर-हस्तांतरणीयता

उपयोगकर्ता को कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की सुविधा का अनुदान किसी भी परिस्थिति में गैर-हस्तांतरणीय है और इसका उपयोग केवल उपयोगकर्ता द्वारा ही किया जाएगा।

33. अधित्याग

यहाँ किसी भी अधिकार, शक्ति या विशेषाधिकार का प्रयोग करने में बंधन बैंक द्वारा कोई विफलता या देरी इसके त्याग के रूप में कार्य नहीं करेगी और न ही किसी अन्य अधिकार, शक्ति या विशेषाधिकार का कोई एकल या आंशिक प्रयोग होगा। यहाँ बंधन बैंक के अधिकार और उपाय संचयी हैं और कानून में उपलब्ध किसी भी अधिकार या उपाय के लिए विशेष नहीं हैं।

34. विज्ञापन या प्रचार

ग्राहक बंधन बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी समय अपने नाम के साथ बंधन बैंक के नाम या अंकों का उपयोग या सहयोग नहीं करेगा या अपने किसी भी प्रचार या विपणन गतिविधियों के दौरान किसी भी विज्ञापन या प्रचार विज्ञप्ति में बंधन बैंक का उल्लेख नहीं करेगा।

35. तृतीय पक्ष अधिकार

कोई व्यक्ति जो इन शर्तों के लिए एक पक्ष नहीं है (बंधन बैंक के एक सहयोगी के अलावा) उन्हें लागू करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

36. विविध खंड

a) खंड शीर्षकों को सुविधा के लिए डाला गया है और इन शर्तों की व्याख्या को प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा।

b) ग्राहक और बंधन बैंक अपने संबंधित ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और अन्य सभी मालिकाना अधिकारों के मालिक बने रहेंगे और कोई भी पार्टी मालिकाना अधिकारों के मालिक की लिखित अनुमति के बिना दूसरे पक्ष के किसी भी ट्रेडमार्क, लोगो या कॉपीराइट का उपयोग नहीं करेगी।

c) ये शर्तें यहाँ पक्षों के बीच सभी पूर्व लेखन और मौखिक समझ को ओवरराइड और प्रतिस्थापित करती हैं और तदनुसार किसी भी पहले के लेखन और/या समझ और इन शर्तों के बीच किसी भी विरोधाभास की स्थिति में, इन शर्तों में निहित प्रावधान प्रभावी होंगे। यह पक्षों द्वारा स्पष्ट रूप से सहमत है कि सभी आगे के अतिरिक्त दस्तावेज और/या लेखन जो निष्पादित किए जा सकते हैं, उन्हें इन शर्तों का एक हिस्सा और पारसल माना जाएगा और उन्हें किसी भी तरह से प्रतिस्थापन या संशोधन के रूप में नहीं माना जाएगा जब तक कि स्पष्ट रूप से ऐसा प्रदान नहीं किया जाता है और पारस्परिक रूप से सहमति नहीं दी जाती है।

d) बैंक सीआईबी ऑनबोर्डिंग फॉर्म या सीमा संशोधन फॉर्म के अनुसार, ग्राहक अनुरोध के आधार पर सीआईबी प्लेटफॉर्म पर सीमाएं निर्धारित करेगा।

किसी भी विशिष्ट ग्राहक निर्देश के अभाव में, बैंक ग्राहक आईडी और खाता स्तर पर क्रमशः लेनदेन सीमा के अनुसार डिफॉल्ट दैनिक सीमा निर्धारित करेगा।

डिफॉल्ट सीमाओं को बैंक द्वारा संशोधित किया जा सकता है, जो इसकी आंतरिक नीति या दिशानिर्देशों पर निर्भर करता है जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

e) यहाँ के अनुसार कोई भी नोटिस या अधिसूचना या अन्य लिखित संचार नीचे वर्णित पते/संपर्क विवरण पर बंधन बैंक को संबोधित किया जाएगा और कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग आवेदन पत्र में निर्दिष्ट पते/संपर्क विवरण पर ग्राहक को संबोधित किया जाएगा। प्रत्येक ऐसा नोटिस या अधिसूचना या अन्य लिखित संचार प्रभावी होगा:

ii. यदि कूरियर सेवा द्वारा वितरित किया जाता है, तो कूरियर सेवा को ऐसा संचार वितरित किए जाने के 48 घंटे बाद, शिपिंग शुल्क का भुगतान किया जाता है और ठीक से संबोधित किया जाता है, या

iii. यदि ई-मेल द्वारा दिया जाता है, तो जब ऐसे मेल के वितरण के बारे में संदेश अधिसूचित पार्टी द्वारा प्राप्त किया जाता है; और

iv. यदि किसी अन्य माध्यम से दिया जाता है, तो जब यहाँ/आवेदन में निर्दिष्ट पते पर वितरित किया जाता है, जैसा भी मामला हो, कॉर्पोरेट कार्यालय को: मंज़िल 11, एडवेंट्रज इन्फिनिटी, बीएन 5, स्ट्रीट नंबर 18, बीएन ब्लॉक, सेक्टर V, बिधाननगर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल 700091

37. एंटी वायरस अपडेट - अस्वीकरण

उपयोगकर्ता को अपने पर्सनल कंप्यूटर/लैपटॉप/डेस्कटॉप या किसी अन्य संगत सिस्टम को नियमित आधार पर स्कैन करने और उपलब्ध नवीनतम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के साथ अपडेट रहने की आवश्यकता है। कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं के उपयोग के माध्यम से सिस्टम में प्रेषित वायरस के कारण किसी भी डेटा हानि या चोरी के मामले में बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

38. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 - प्रयोज्यता

बैंक ने ग्रुप आईडी, यूजर आईडी, निक नाम के सत्यापन के माध्यम से या पासवर्ड के सत्यापन के माध्यम से या सत्यापन के किसी अन्य तरीके के माध्यम से जो बैंक के विवेक पर निर्धारित किया जा सकता है, उपयोगकर्ता के प्रमाणीकरण के तरीके को अपनाया है। उपयोगकर्ता एतद्वारा बैंक द्वारा अपनाए गए सत्यापन के तरीके के लिए सहमत/सहमति देता है। उपयोगकर्ता सहमत है कि उपरोक्त तरीके द्वारा किए गए या डाले गए लेनदेन वैध, बाध्यकारी और उपयोगकर्ता के खिलाफ प्रवर्तनीय होंगे और लेनदेन पर सवाल उठाने वाला कोई भी विवाद उठाने का हकदार नहीं होगा।

39. इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर

1. इस विकल्प का लाभ उठाने के लिए, ग्राहक के पास बंधन बैंक के साथ एक खाता होना चाहिए। इस विकल्प के तहत, बंधन बैंक ग्राहक द्वारा प्राप्त निर्देशों पर लाभार्थियों को ग्राहक के खाते से लाभार्थियों के खातों में बंधन बैंक और/या किसी अन्य बैंक में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान मोड जैसे (i) आंतरिक फंड ट्रांसफर; (ii) नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी); (iii) रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम (आरटीजीएस) या (iv) यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) (v) इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज (आईएमपी) या आरबीआई और एनपीसीआई द्वारा अनुमत भुगतान के किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर द्वारा भुगतान करेगा। आंतरिक फंड ट्रांसफर बंधन बैंक द्वारा लाभार्थी को केवल तभी किया जाएगा जब लाभार्थी बंधन बैंक का खाताधारक हो।

2. ग्राहक सहमत है कि यदि ग्राहक यहाँ निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के किसी भी मोड के माध्यम से लाभार्थियों के अनिवासी रुपया खाते (खातों) में भुगतान के लिए अनुरोध करता है, तो ग्राहक का यह कर्तव्य होगा कि वह बंधन बैंक को सूचित करे कि लाभार्थी का खाता एक अनिवासी रुपया खाता है और आगे, ऐसे अनुरोध को संसाधित करने के लिए बंधन

बैंक द्वारा आवश्यक सभी दस्तावेज प्रदान करेगा/निष्पादित करेगा और सभी ऐसे कार्य, कार्य और चीजें करेगा। ग्राहक एतद्वारा सहमत है कि बंधन बैंक लाभार्थी का खाता अनिवासी रुपया खाते की प्रकृति का है, यह सुनिश्चित करने के लिए कोई बाध्यता नहीं है और ग्राहक बिना किसी देरी या आपत्ति के, बंधन बैंक और उसके एजेंटों को क्षतिपूर्ति करेगा और बंधन बैंक और उसके एजेंटों को हर समय किसी भी और सभी कार्यों, दावों, मुकदमों, कार्यवाहियों, मांगों, नुकसानों, लागतों और खर्चों (अटॉर्नी की फीस सहित) से हानिरहित रखेगा जो बंधन बैंक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ऐसे अनुरोध को संसाधित करने से उत्पन्न होने या उसके संबंध में उठा सकता है या उठा सकता है।

3. आईएमपी, यूपीआई, एनईएफटी और आरटीजीएस के मामले में, बंधन बैंक ऐसी सेवाओं के लिए सक्षम अन्य बैंकों की शाखाओं के साथ बनाए गए लाभार्थियों के खातों में भुगतान करेगा।
4. इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के लिए लाभार्थियों का विवरण बंधन बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में होगा और इसमें समय-समय पर आरबीआई द्वारा अनिवार्य सभी जानकारी शामिल होगी, जिसमें लाभार्थी का नाम, राशि, लाभार्थी का खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (वीपीए) आदि शामिल हैं, लेकिन यह केवल इन्हीं तक सीमित नहीं है। लाभार्थियों के ये विवरण जो ग्राहक द्वारा बंधन बैंक को प्रदान किए जा सकते हैं, उन्हें वैध माना जाएगा और ग्राहक द्वारा प्रदान किए गए विवरण के अनुसार भुगतान किए जाने की स्थिति में किसी भी त्रुटि, अशुद्धि या गलती के लिए बंधन बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।
5. ग्राहक सहमत है कि लाभार्थी के खातों में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर अपरिवर्तनीय हो जाएगा जब ऐसे हस्तांतरण के लिए ग्राहक के निर्देशों को बंधन बैंक द्वारा निष्पादित कर दिया जाएगा।